



राजस्व क्षेत्र पर
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष



मध्य प्रदेश सरकार
वर्ष 2014 का प्रतिवेदन क्र. 5

राजस्व क्षेत्र पर
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिये

मध्य प्रदेश शासन

वर्ष 2014 का प्रतिवेदन क्र. 5

©

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

2014

www.cag.gov.in

www.agmp.nic.in

विषय—सूची

कंडिका	विवरण	पृष्ठ
	प्रस्तावना	v
	विहंगावलोकन	vii से xi
अध्याय—1 : सामान्य		
1.1	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1
1.2	राजस्व के बकाया का विश्लेषण	4
1.3	निर्धारण का बकाया	5
1.4	कर अपवंचन	6
1.5	वापसियों के लंबित प्रकरण	7
1.6	लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/शासन का प्रत्युत्तर	8
1.7	लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मुद्दों के निराकरण हेतु प्रणाली का विश्लेषण	12
1.8	विभागों/शासन द्वारा स्वीकार की गई अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई	14
1.9	लेखापरीक्षा योजना	15
1.10	लेखापरीक्षा परिणाम	16
1.11	यह प्रतिवेदन	16
अध्याय—2 : वाणिज्यिक कर		
2.1	कर प्रशासन	17
2.2	आंतरिक लेखापरीक्षा	17
2.3	लेखापरीक्षा के परिणाम	17
2.4	“मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 14 के तहत इनपुट टैक्स की छूट” पर निष्पादन लेखापरीक्षा	18
2.5	अन्य लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	39
2.6	गलत दर से कर का आरोपण	39
2.7	टर्न ओवर का गलत निर्धारण	43

कंडिका	विवरण	पृष्ठ
2.8	प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण	46
2.9	अमान्य आगत कर रिबेट की स्थीकृति	49
2.10	वस्तुओं को कर मुक्त मानते हुए विक्रय पर कर का अनारोपण	53
2.11	शास्ति का अनारोपण	54
2.12	ब्याज का अनारोपण	55
2.13	प्रान्तीय विक्रय को गलत ढंग से अंतर्राज्जीय विक्रय मानकर कर का कम आरोपण	56
2.14	गलत कटौती की अनुमति दिए जाने के कारण कर का कम आरोपण	57
2.15	खरीद कर का अनारोपण	58
अध्याय-3 : राज्य उत्पाद शुल्क		
3.1	कर प्रशासन	59
3.2	आन्तरिक लेखापरीक्षा	59
3.3	लेखापरीक्षा के परिणाम	60
3.4	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	61
3.5	विभाग द्वारा अनुज्ञातिधारियों को दिया गया अनुचित लाभ	61
3.6	निर्यात/परिवहन की गई विदेशी मंदिरा/बीयर और मंदिरा की अभिस्थीकृति प्राप्त न होने पर आबकारी शुल्क की वसूली न होना	63
3.7	शास्ति की वसूली न होना।	64
3.8	स्पिरिट और विदेशी मंदिरा का निराकरण न होने के कारण आबकारी शुल्क की प्राप्ति न होना।	65
3.9	स्पिरिट और विदेशी मंदिरा/बीयर की कमी पर शुल्क/शास्ति जमा न करना।	66
3.10	अधिक नुकसान/कमी पर शास्ति का अनारोपण।	68
3.11	परिवहन/आयात शुल्क की गैर वसूली	70
3.12	आसवनी में निर्धारित न्यूनतम स्कन्ध न बनाये रखने पर शास्ति का अनारोपण।	73

कंडिका	विवरण	पृष्ठ
अध्याय—4 : वाहनों पर कर		
4.1	कर प्रशासन	75
4.2	आंतरिक लेखापरीक्षा	75
4.3	लेखापरीक्षा के परिणाम	76
4.4	“मंजिली गाड़ी/ठेका गाड़ी अनुज्ञापत्र पर चलित लोक सेवा वाहनों पर कर का आरोपण एवं संग्रहण” पर निष्पादन लेखापरीक्षा	77
4.5	अन्य लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	89
4.6	वाहनों पर कर व शास्ति की वसूली न होना	89
4.7	अर्थमूवर एवं हार्वेस्टर पर कर एवं शास्ति की वसूली न होना	91
4.8	व्यापार फीस की वसूली न होना/कम वसूली होना	92
4.9	आधिक्य भार ले जाने वाले वाहनों से शमन शुल्क की कम वसूली	93
अध्याय—5 : भू—राजस्व		
5.1	कर प्रशासन	95
5.2	आंतरिक लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण	95
5.3	लेखापरीक्षा परिणाम	96
5.4	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	97
5.5	प्रीमियम एवं भू—भारक का अवनिर्धारण	97
5.6	भू—राजस्व एवं उपकर का शासकीय खाते में प्रेषण न किया जाना	98
5.7	अस्थायी पट्टे की नवीनीकरण में प्रीमियम एवं भू—भाटक का अवनिर्धारण	98
5.8	व्यपवर्तन लगान, प्रीमियम और उपकर का अवनिर्धारण	99
अध्याय — 6 मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस		
6.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	101
6.2	“मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के निर्धारण एवं संग्रहण” पर निष्पादन लेखापरीक्षा	102

कंडिका	विवरण	पृष्ठ
अध्याय—7 खनन प्राप्तियां		
7.1	कर प्रशासन	129
7.2	आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली	129
7.3	लेखापरीक्षा परिणाम	129
7.4	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	130
7.5	उत्थनि मदों में अनिवार्य किराये की वसूली न होना/कम वसूली	131
7.6	खनन पट्टे के अनिवार्य किराये की वसूली न होना	132
7.7	संविदा राशि की वसूली न होना/कम होना	133
7.8	राज्यांश की कम वसूली	134
7.9	विलंबित भुगतानों पर ब्याज का वसूल न होना/कम होना ।	137
7.10	अनाधिकृत उत्थनन पर खनिजों के मूल्य का अनारोपण/ वसूली न होना ।	139
7.11	ग्रामीण अवसंरचना एवं सङ्क विकास कर का आरोपण एवं संग्रहण ।	139
7.12	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का आरोपण/संग्रहण ।	141
परिशिष्ट		145 से 194